

2023/178 ✓

15/6

पोली स्टेशनर्स, मांडवगढ़ 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेकी स्टेशन

(कायदा — 129)

जनरल रूलस सिविल रूलस 129 अपेन्डिक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फंसवा 4	फंसवा क्रमांक 5
111-178	142/2023	8/6/23	15/6/23 DPT	

अनघान

श्री कृष्णलाल तंजलाल धार श्री सुमेश चंद्र बिरलाल धार

निवासी कल्याणपुर निवासी बड़ोदा

M. K. D
अधिकारता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिकारता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

रेस्पॉण्डेंट / अवयुनाथ

श्री सुदेश कुमार धार

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

बनाम

किस्म मुकदमा - 111-128

नम्बर 142 / 2023


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

8/6
/2023

प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जाच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 15/6/2023 को पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

15/6/23 पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाए खरग मनुपस्थित। विपक्षीगण वे विरुद्ध एक पक्षीय भाषा पारित किए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल पत्र हो।


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 142/23

तारीख दायर

8/6/23

कन्हैयालाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्राथी

बनाम

1. कमलेश पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बालु पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सुरेश पुत्र हेमराज जाति धाकड़ उम वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 15/6/23

प्रार्थना पत्र प्राथी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 21 पर अंकित आराजी संख्या 1424/1254 रकबा 0.5099 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमावन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्राथी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँखुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 21 पर अंकित आराजी संख्या 1424/1254 रकबा 0.5099 हैक्टेयर भूमि को बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिख जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 142/23

तारीख दायर 8/6/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या142..... / 2023 पत्थरगढी बाबत।

कन्हैयालाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया
जिला जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बालु पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला
जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सुरेश पुत्र हेमराज जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम
थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 21 पर अंकित
आराजी संख्या 1424/1254 रकबा 0.5099 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के
पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे
तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने
हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँखुर्द को
कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं कमिश्नर फीस 500/- रूपये वक्त पत्थरगढी
पार्थी अदा करेगा । पत्थरगढी करने से पूर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
बिजौलियाँ